भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 572
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान सेवाओं में अत्यधिक विलंब

572. **श्री सेल्वाराज वी.:**
श्री सुब्बारायण के.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अधिकांश उड़ान सेवाएं घंटों विलंबित होती हैं और कभी-कभी विमान में चढ़ने के बाद भी उड़ान भरने में घंटों विलंब होता है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उड़ानों का परिचालन निर्धारित समय के अनुसार हो, ताकि यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें?

उत्तर
नागर विमानन राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): अनुसूचित उड़ानें कभी-कभी मौसम, तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से विलंबित हो जाती हैं।

उड़ानों के रद्द होने/विलंब के परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड- 3, वायु परिवहन श्रृंखला एम, भाग IV जारी की है, जिसका शीर्षक है "उड़ानों के रद्द होने और उड़ानों में विलंब के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ।" डीजीसीए निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर आकस्मिक आधार पर निरीक्षण करता है। यदि कोई एयरलाइन नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, तो उस पर वित्तीय दंड सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

******